

—: आदेश —:

होम्योपैथिक चिकित्सा विभागान्तर्गत लोक हित एवं प्रशासनिक कारणों से निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों/चरिष्ठ चिकित्साधिकारी ग्रेड- II का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अविनाश स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन	याँचित पदस्थापन	विवरण
1	डॉ. विशाल लोहाटी	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औपधालय, राजसमंद	होम्यो. औपधालय, नाथद्वारा, जिला-राजसमंद	डॉ. रमेश चन्द जैलिया के स्थान पर
2	डॉ. रमेश चन्द जैलिया	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औपधालय नाथद्वारा राजसमन्द	राज. होम्यो. औपधालय, राजसमंद	डॉ. विशाल लोहाटी के स्थान पर
3	डॉ. मुनेश मीणा	चरिष्ठ होम्यो. चिकित्साधिकारी ग्रेड- II	राज. होम्यो. औपधालय खिर्दरपुर अलवर (स्थानान्तरणाधीन)	राज. होम्यो. चिकि. उद्योग भवन, जयपुर	डॉ. राजुल मेडतवाल के स्थान पर
4	डॉ. राजुल मेडतवाल	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. चिकि. उद्योग भवन, जयपुर	राज. होम्यो. औपधालय खिर्दरपुर अलवर	डॉ. मुनेश मीणा के स्थान पर
5	डॉ. गरिमा शर्मा	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औपधालय पुष्कर अजमेर	राज. होम्यो. औपधालय जोसगंज, अजमेर	डॉ. संजय चौधरी के स्थान पर
6	डॉ. संजय चौधरी	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औपधालय जोसगंज, अजमेर	राज. होम्यो. औपधालय पुष्कर अजमेर	डॉ. गरिमा शर्मा के स्थान पर
7	डॉ. सुनीता वर्मा	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औप. मउ-सीकर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर राज.होम्यो. औप. सुनेल झालावाड यथावत		



8	डॉ सुदेश	होम्यो चिकित्साधिकारी	राज होम्यो औषधालय, श्री गंगानगर	राज होम्यो चिकि. गुरु	डॉ. अजय कुमार के स्थान
9	डॉ अजय कुमार	वरिष्ठ होम्यो चिकित्साधिकारी ग्रेड-II	राज होम्यो चिकि. गुरु	राज होम्यो औषधालय, श्री गंगानगर	डॉ सुदेश के स्थान पर

नोट:-

1. उपर्युक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
2. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिन जिलों में विधानसभा उप चुनाव-2019 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, वहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस क्रम में संबंधित के आदेश आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर क्रियान्वित किये जावें।

आज्ञा से,
एस.डी.
(आर.एन.शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, रोक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर

क्रमांक-प्रति 1/होम्यो.चिकि./स्थानान्तरण/2019 5077-84 दिनांक:- 29-9-19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(36)आयु./2018 पार्ट-3 दिनांक 29.09.2019 के क्रम में।
4. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल/ WhatsApp करे।
5. प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राज. होम्यो. चिकि./औष.
6. सम्बन्धित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
7. कार्यालय की लेखा/कैश/विधि/स्टोर/सामान्य/आवक-जावक शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक